



F-07-08  
F-07-11

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
**DEFENCE R&D ORGANISATION**  
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
**MINISTRY OF DEFENCE**

मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु – 560 037  
**MARATHAHALLI COLONY P.O**  
**BENGALURU - 560 037**

**वर्ग अनुमोदन सं. : 511का संशोधन सहित नवीकरण**  
**Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 511**

**विषय /Sub:बैलेंस कॉक, पार्ट सं.: 101000000**

**Balance Cock, Part Number: 101000000**

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एरोस्पेस सिस्टम्स एंड इक्विपमेंट रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर (एएसईआरडीसी), लखनऊ- 226 016, द्वारा अभिकल्पित और विकसित तथा मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, असेसरीज़ प्रभाग, लखनऊ – 226 016, द्वारा उत्पादित " बैलेंस कॉक" पार्ट सं.: 101000000 को संदर्भ सं. एरो/आरडी-132/106/8, दिनांक 30 अक्टूबर 1986, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 511, जारी किया गया था तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए – 511- 1आर, दिनांक 21 नवंबर 2013 द्वारा नवीकरण जारी किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2018 तक था।

*This is to state that the "Balance Cock" bearing the Part Number 101000000, designed & developed by M/s Hindustan Aeronautics Limited, Aerospace Systems and Equipment Research & Design Centre (ASERDC), Lucknow – 226 016 and manufactured M/s Hindustan Aeronautics Limited, Accessories Division, Lucknow – 226 016 was issued with Type Approval No.: 511 vide Ref. No.: AERO/RD-132 / 106/8, dated: 30<sup>th</sup> October 1986 and was subsequently renewal issued vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-511-R, dated: 21<sup>st</sup> November 2013 with validity up to 31<sup>st</sup> December 2018.*

संदर्भ सं: आरसीएमए (लखनऊ)/341/3/टेक/4, दिनांक 05 नवंबर 2018 द्वारा आरसीएमए (लखनऊ) के मांग के आधार पर निम्नलिखित संशोधन लागू होता है:

*The following amendment is effected based on request from RCMA (Lko) vide their letter No.: RCMA (Lko) / 341/3/Tech /4, dated: 05<sup>th</sup> November 2018.*

परिशिष्ट 'ए' के पृष्ठ 7 के 2 में, प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाण पत्र सं.: एरो/आरडी-132/106, दिनांक 30 अक्टूबर 1986 की अंतिम पंक्ति में (क्र सं. 16 के बाद) निम्नलिखित को जोड़ा जाए:

*In Page No.: 2 of 7 of Appendix 'A' of initial Type Approval Certificate No.: AERO / RD – 132 /106, dated: 30<sup>th</sup> October 1986 add the following in the Last Row (after Serial No.: 16):*

**Approved Component Build  
Standard (ACBS) Reference**

**ACBS No.: 101000000, Issue '1D'  
Dated: 27<sup>th</sup> August 2015**

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2019 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसंबर 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (3) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (लखनऊ), सेमिलैक, डी आर डी ओ, द्वारा मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, लखनऊ – 226 016, से अनुरोध करना होगा।

*This is to certify that this Type Approval is here by renewed w.e.f. 01<sup>st</sup> January 2019 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31<sup>st</sup> December 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Lucknow), CEMILAC, DRDO, C/o M/s Hindustan Aeronautics Limited, Lucknow – 226 016, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.*

3. संदर्भ सं.:एरो/रडी -132/106/8, दिनांक 30 अक्टूबर1986 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद (04) चार में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

*The Para (04) four of original Type Approval Certificate vide Reference No.: AERO/RD-132 / 106 / 8, dated: 30<sup>th</sup> October 1986 is amended as stated herewith.*

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूर - 560 037 की पूर्व सहमति लेनीहोगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण कोस्थानांतरित नहीं किया जा सकताहै।]”

*“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru - 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]”.*

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

*All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.*

सं. / No.:सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA - 511/2R  
दिनांक / Date : 30 January 2019  
फैक्स सं. / Fax No.: 080 - 2523 0856

*H. H.*

*P. Jayal*  
पी . जयपाल / P. JAYAPAL  
उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist  
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता) /  
Chief Executive (Airworthiness)